महत्वपूर्ण एवं खास

अभ्यर्थी पूजा सिदार को व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना पत्र जारी

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 के निर्दलीय अभ्यर्थी पूजा सिदार को 25 अप्रैल तक व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र दिया गया था। किन्तु उनके अथवा उनके अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थी व्यय पंजी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में पूजा सिदार को 3 दिवस के अंदर कारण दर्शित करते हुए अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-02 रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है, अन्यथा आईपीसी की धारा 171-झ के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर उन्हें प्रदान की गई वाहन अनुमति/अन्य समस्त अनुज्ञा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक के द्वारा 22 अप्रैल को कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ के सभाकक्ष में सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी व्यय पंजी के 3 बार निरीक्षण किए जाने हेतु 25 अप्रैल, 30 अप्रैल तथा 6 मई 2024 का सूचना पत्र दिया गया था, किन्तु पूजा सिदार किए गए समस्त व्यय का लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत निर्धारित प्रारूप में रखा जाकर आपके /अभिकर्ता द्वारा प्रथम निरीक्षण 25 अप्रैल 2024 को अपना अभ्यर्थी का व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना था किन्तु नियत तिथि एवं स्थान पर उनके द्वारा स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अभ्यर्थी व्यय पंजी निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए।

राधेश्याम राठिया को कारण बताओ सूचना जारी

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 में लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 02 रायगढ़ में 25 अप्रैल 2024 को व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में व्यय लेखा पंजी के जांच हेतु आयोजित बैठक में राधेश्याम राठिया के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तुत अभ्यर्थी व्यय रजिस्टर में 709142 का व्यय अंकित किया गया है, जबकि छाया अवलोकन पंजी में 1386246 रुपये व्यय दर्ज किया गया है। राधेश्याम राठिया द्वारा संधारित अभ्यर्थी व्यय रजिस्टर में दर्ज न्यूनोक्ति राशि 677104 रूपये के संबंध में 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-02 रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।

मोटर सायकल पर शराब परिवहन कर रहे दो युवकों को एफएसटी टीम ने पकड़ा

रायगढ़। दिनांक 25/04/2024 को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरलिया स्कूल चौंक पर वाहनों को चेक कर रही FST टीम द्वारा हीरो पैशन प्रो क्रमांक CG13 AJ 5779 पर शराब परिवहन कर रहे दो युवक 1- अर्जुन माझी पिता संतोष माझी, उम्र 20 वर्ष एवं 2- नागेश भगवान मिरेवार पिता भगवान नारायण मिरिवार उम्र 30 वर्ष के पास 33 पाव अंग्रेजी शराब जप्त पंचनामा तैयार किया गया। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपियों से अवैध शराब व परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल कर जप्ती कर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क)आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

चुनाव ड्यूटी में लगे जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

गरियाबंद (आरएनएस)। अन्य राज्य से चुनाव ड्यूटी करने जवान के द्वारा चुनाव ड्यूटी में खुद को गोली मारकर की आत्महत्या कर लेने से हडक़ंप हडक़ंप मच गया।ज्ञात हो कि राज्य में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव,महासमुंद और कांकेर के लिए मतदान जारी है।इसी बीच यहां छुरा ब्लाक के पिपरछेड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम कूडेरादादर के पोलिंग बूथ में चुनाव ड्यूटी कर रहे जवान के द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है।जिससे विभाग सहित उस क्षेत्र में हडक़ंप मच गया।घटना के विषय में थाना प्रभारी पिपरछेड़ी संतोष साहू से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश केलिंगवा राजपुर निवासी 45 वर्षीय शास्त्र पुलिस के प्रधान आरक्षक जवान जियालाल पवार कंपनी अपने चुनाव ड्यूटी में गरियाबंद जिले के ग्राम कूडेरादादार में आया हुआ था।कंपनी के कुछ जवान रिजर्व दल में कैंप पर आराम कर रहे थे.इसी में से एक जवान ने सुबह लगभग दस बजे अपने ही सर्विस रायफल से चुनाव के बीच खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।घटना की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच पंचनामा की कार्रवाई करते हुए मृतक जवान के शव को जिला अस्पताल लेकर आए जहा पोस्टमार्ट कर मृतक के शव को उसके गृह ग्राम भेजा गया।घटना का ठोस कारण का अब भी पता नहीं चला है.पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मतदाता पर्ची लेकर घर-घर पहुंच रहे बीएलओ

7 मई को मतदान के लिए लोगों को कर रहे जागरूक

- वोटर आईडी कार्ड अथवा अन्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से किसी एक के आधार पर कर सकेंगे मतदान, निर्वाचन कार्यालय ने वैकल्पिक दस्तावेजों की जारी की है सूची
- कम मतदान प्रतिशत वाले 175 शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान को लेकर विशेष फोकस
- मतदान केंद्रों पर छाया के लिए टेंट और पेयजल की रहेगी व्यवस्था

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में आगामी 7 मई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार मतदाताओं के घरों तक मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। बीएलओ मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर पहुंचकर दे रहे है तथा मतदाताओं को 7 मई को मतदान के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदाता को इस बारे में सूचित किया जा रहा है कि मतदाता पहचान पर्ची मतदान के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र या 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज साथ रखे। जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/ विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)कार्ड पहचान पत्र में कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

कम मतदान प्रतिशत वाले 175 शहरी और ग्रामीण मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान को लेकर विशेष फोकस

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने गत दिवस सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद और नगरीय निकायों के सीएमओ की बैठक ली। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय और नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी भी बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले के जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनावों में तुलनात्मक रूप से कम रहा है वहां मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष रूप से अभियान चलाया जाए। ऐसे करीब 175 मतदान केंद्र चिन्हांकित किए गए है। इसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्र शामिल है। सीमावर्ती इलाकों के पोलिंग सेंटर्स में भी खास तौर पर मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पंचायतों के द्वारा पूरे जिले में न्योता द्वार-द्वार अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर गोयल ने कहा कि हमारा प्रयास हो कि हम हर मतदाता तक पहुंच कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने औद्योगिक संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को क्रमिक रूप से अवकाश दिए जाने के लिए संबंधित प्रबंधन को निर्देशित करने और मतदान वाले दिन इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

मतदान केंद्रों पर टेंट और पानी की रहेगी व्यवस्था

कलेक्टर गोयल ने गर्मी के मौसम को देखते हुए वोट डालने आए मतदाताओं को असुविधा न हो इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में टेंट लगाकर छाया और पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। इसके लिए संबंधित पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वहां शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के आवश्यकता के अनुसार भी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए निर्देशित किया है।

पशुक्रूरता पर अंकुश लगाने कापू पुलिस की कार्यरवाई : सात आरोपियों को पशुक्रूरता मामले में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम को ग्राम कमदढोढ़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा पास जंगल में कृषक मवेशी को मांस के लिए मार देने की सूचना मिली। थाना प्रभारी द्वारा एसपी दिव्यांग पटेल को सूचना से अवगत कराते हुए क्षेत्र के भ्रमण पर आए एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी को बताया गया तथा एडिशनल एसपी व एसडीओपी के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किये जिसमें 24 अप्रैल 2024 की रात्रि करीब 12 से 1:00 बजे गांव के मार्शल कुजूर (32 वर्ष), नोना कुजूर (35 वर्ष), जारसेल कुजूर (20 वर्ष), संतोष खेस(26 वर्ष), बबलू कुजूर (22 वर्ष), कार्तिक एक्का (22 वर्ष), संतराम मिंज (32 वर्ष) सभी निवासी कमदढोढी गोहेसिशलार, थाना कापू द्वारा आरोपित नोना कुजूर के मवेशी को मारने की जानकारी मिली। इस संबंध में प्रार्थी भुनेश्वर यादव निवासी ग्राम कमदढोढ़ी के लिखित आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 53/2024 धारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10,11 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 2004 की धारा 11 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पशुक्रूरता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में ऐसे तत्वों पर निगाह रखी जा रही है, शिकायतों और सूचनाओं पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

कलेक्टर गोयल कमीशनिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे केआईटी

- कार्यों का अवलोकन कर तेजी लाने के दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा लोकसभा क्षेत्र-02 रायगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर कार्तिकेया गोयल ने केआईटी कॉलेज गढ़उमरिया में चल रहे ईवीएम, वीवीपैट मशीनों के कमीशनिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी ईवीएम रेखा चंद्रा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने विधानसभा वार मतगणना स्थल में चल रहे ईवीएम, वीवीपैट के कमीशनिंग कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने कमीशनिंग कार्य में लगे अधिकारियों से प्रत्येक प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक करने के निर्देश दिए। रायगढ़, लैलूंगा, खरसिया विधानसभा के मशीनों की कमीशनिंग का जायजा लेते हुए स्थल में टेबल की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने बैलेट पेपर एवं पिंक पेपर नंबर पंजी का अवलोकन किया एवं बूथ में जाने वाले मशीनों के संधारण की जानकारी ली। उन्होंने कमीशनिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कमीशनिंग के तहत आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए रायगढ़ संसदीय क्षेत्र-02 के लिए 7 मई को होने वाले मतदान के लिए मशीनों को अंतिम चरण में बूथ लेवल के लिए तैयार किया जा रहा है। जिसमें रायगढ़ लोकसभा के 13 प्रत्याशियों एवं नोटा का प्रतीक चिन्ह बैलेट यूनिट में लोड किया जा रहा है। साथ ही सभी मशीनों को चेक कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थियों व नोटा को एक वोट देते हुए मॉकपोल के पश्चात बीयू, सीयू एवं वीवीपैट का सीलिंग कार्य किया जा रहा है। कमीशनिंग पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 5 प्रतिशत मशीनों का चयन रैंडम आधार पर किया जाएगा, जिनमें 1000 वोट डालकर मॉकपोल किया जाएगा।

कलेक्टर गोयल ने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मशीनों के आवाजाही एवं वापसी की जानकारी ली। उन्होंने कार्यरत अधिकारियों को कमीशनिंग पश्चात राउंड वाइज जमा करने तथा भेजने के निर्देश दिए। जिससे बेहतर तरीके कार्य संपादन हो सके। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की जानकारी ली एवं मॉनिटरिंग कक्ष में पहुंच कर स्ट्रॉन्ग रूम एवं कॉरिडोर में फिक्स कैमरे का अवलोकन किया। उन्होंने सभी के मॉनिटरिंग के साथ बैकअप रखने हेतु निर्देशित किया। कमीशनिंग कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों हेतु भोजन की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा की ग्रीष्म ऋतु के लिहाज से सभी स्थल में पर्याप्त पेयजल एवं ओआरएस की व्यवस्था करें। इसके साथ ही उन्होंने कूलर, छॉव हेतु शेड की व्यवस्था के निर्देश दिए।

खाना नहीं बनाने की बात पर युवती ने बड़ी बहन की लोहे की कुटनी मारकर की हत्या

- कोतरारोड पुलिस ने चंद घंटों में किया घटना का पर्दाफाश, आरोपिया को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 25/04/2024 के सुबह थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा को ग्राम पतरापाली में एक युवती का शव उसके मकान अंदर कमरा में पड़े होने की सूचना मिली। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला (भापुसे) के साथ तत्काल अपने स्टाफ व पुलिस डॉग के साथ मौके पर पहुंचे। जहां रंजीता महतो पिता दीनदयाल महतो (22 वर्ष) का शव उसके कमरे अंदर बेड पर पड़ा मिला। शव पंचनामा कार्यवाही कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य का संकलित किया गया। मृतिका के सिर पर ठोस वस्तु से चोट पहुंचाने के निशान थे, प्रथम दृष्टिया मामला हत्यात्मक प्रतीत होने पर मृतिका की मां बहन, छोटी बहन व अन्य घरवालों को विस्तृत पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ पर मृतिका रंजीता का उसकी छोटी बहन से मनमुटाव, छोटी-छोटी बातों में झगड़ा विवाद की जानकारी मिली। संदेही मृतिका की छोटी बहन नेहा महतो से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने बड़ी बहन रंजीता की हत्या कबूल कर घटना का वृतांत बताया।

आरोपिया नेहा कुमारी महतो ने बताया कि बड़ी बहन रंजीता घर में सिलाई का काम करती थी और यह घर के घरेलू और रसोई का काम करती थी। आरोपिया ने बताया उसकी बड़ी बहन रंजीता उसके घर और रसोई के काम में मदद नहीं करती थी। घरवाले भी रंजीता के पक्ष में होते थे जिसे लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़ा विवाद हुआ था। 24 अप्रैल के रात्रि भी खाना नहीं बनने को लेकर दोनों में झगड़ा विवाद हुआ और था। जब सभी अपने-अपने कमरे में सोए थे। तब खाना नहीं बनाने के गुस्से में रंजीता की हत्या के लिए घर में रखे लोहे के खलबट्टे के कुटनी लेकर बहन के कमरे पहुंची और उसके सिर के बाई तरफ मार कर उसकी हत्या कर दी जिसके बाद खून लगे कपड़े को घर में छुपा दी और कुटनी में लगे खून को पानी से साफ कर दी थी। पुलिस द्वारा आरोपिया नेहा कुमारी महतो पिता दीनदयाल महतो उम्र 20 वर्ष निवासी आशा द होप पतरापाली वार्ड क्रमांक 44 थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ के मेमोरेंडम कथन पर लोहे का कुटनी और घटना समय पहने कपड़े बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपिया को आज थाना कोतरारोड़ के अपराध क्रमांक 178/2024 धारा 302 भादवि में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के सतत पर्यवेक्षण, निर्देशन पर हत्या के मामले का त्वरित पटाक्षेप, आरोपिया की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा, उप निरीक्षक जे. एक्का, सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय, टिकेश्वर यादव, डॉग मास्टर विरेन्द्र अनंत, पुलिस डॉग रूबी तथा हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

रिटायर्ड हेड मास्टर के घर से चोरी हुए टीवी के साथ आरोपी गिरफ्तार, चौकी खरसिया पुलिस ने आरोपित को भेजा रिमांड पर

रायगढ़

पुलिस चौकी खरसिया की टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर चोरी की टीवी बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे आरोपी सत्यम सागर पिता दरसराम सागर उम्र 32 साल निवासी खरसिया को हिरासत में लिया गया जिससे एलईडी टीवी के संबंध में पूछताछ करने पर सत्यम सागर ने 11 अप्रैल को जवाहर कॉलोनी खरसिया से टीवी चुराकर घर में छिपा कर रखना बताया।

चोरी को लेकर रिटायर्ड हेड मास्टर दीपक कुमार बघेल निवासी वार्ड क्रमांक 3 जवाहर कॉलोनी खरसिया द्वारा पुलिस चौकी खरसिया में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे वर्तमान में बिलासपुर में रहते हैं। उनके जवाहर कॉलोनी वाले मकान में भी आना-जाना है। 11 अप्रैल को मकान देखरेख करने वाले लड़के सोनू भारती ने बताया कि 11 अप्रैल की रात्रि मकान का दरवाजा तोड़कर घर में लगे एलजी कंपनी के 42 इंच LED टीवी को कोई चोरी कर ले गया है जिसे पता तलाश कर रहे थे, पता नहीं चलने पर चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराये। चौकी खरसिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 250/2024 धारा 457, 380 आईपीसी दर्ज किया गया था। विवेचना दरम्यान आरोपी सत्यम सागर से चोरी एलजी कंपनी LED टीवी कीमती 36000 रूपये का जप्त कर चौकी खरसिया पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। माल मुल्जिम पतासाजी में चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक संजय नाग, प्रधान आरक्षक अशोक डनसेना, आरक्षक कीर्ति सिदार, सोहन यादव, मुकेश यादव, डमरूधर पटेल शामिल थे।

ग्रीष्म ऋतु से तैयारी एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी : डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़

ग्रीष्म ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में लू-तापघात से आवश्यक तैयारी एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किए गए है। लू-तापघात से बचाव एवं तैयारी के लिए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में डिप्टी कलेक्टर/ प्रभारी अधिकारी राहत एवं आपदा शाखा रेखा चन्द्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इनका मोबाइल नम्बर 97528-06153 है।

लू के लक्षण-सिर में भारीपन और दर्द होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक हो जाने के बाद भी पसीने का न आना, अधिक प्यास और पेशाब कम आना, भूख कम लगना एवं बेहोश होना।

लू से बचाव के उपाय-लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी में ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यत: नमक की मात्रा कम हो जाने से होता है। अत: इससे बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जाये, धूप में निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें, पानी अधिक मात्रा में पीयें, अधिक समय तक धूप में न रहें, गर्मी के दौरान नरम मुलायम सूती कपडे पहनने ताकि हवा और कपड़े पसीने को सोखते रहे, अधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस घोल पीये, चक्कर आने, उल्टी आने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें तथा शीतल पेय जल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें, प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से नि:शुल्क परामर्श ले, उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र से जरूरी सलाह ले।

लू लगने पर किये जाने वाला प्रारंभिक उपचार-बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठण्डे पानी की पट्टी लगाये, पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लिटाये, शरीर पर ठण्डे पानी का छिड़काव करते रहे, पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र किसी नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु ले जाये, मितानिन, एएनएम से ओआरएस के पैकेट हेतु संपर्क करें।

क्या करें- जितना हो सके पर्याप्त पानी, पीएं, भले ही प्यास न लगी हो। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संबंधित रोग वाले जो तरल प्रतिबंधित आहार लेते हो, तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले, हल्के, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी, (तोरानी चावल) का पानी, नींबू का पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचें, यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर (कपड़े/टोपी या छाता)और चेहरे को कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें।

नियोक्ता और श्रमिकों के लिए- क्या करें- कार्यस्थल पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल प्रदान करें। श्रमिकों को सीधे धूप से बचने के लिए सावधानी बरतें। यदि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है जैसे कि (कृषि मजदूर, मनरेगा मजदूर, आदि) तो सुनिश्चित करें कि वे हर समय अपना सिर और चेहरा ढकें रहें। दिन के समय निर्धारित समय सारणी निश्चित करें। खुले में काम करने के लिए विश्राम गृह की अवधि और सीमा बढ़ाएं। गर्भवती महिलाओं या कामगारों की चिकित्सकीय स्थिति पर विशेष ध्यान दें। यदि कोई बीमार है तो उसे उयूटी पर्यवेक्षक को सूचित करे। क्या न करें-कार्यस्थल पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन न करें, न ही थूके और न ही चबाएं। जो लोग बीमार हैं उनके निकट संपर्क से बचें। बीमार होने पर काम पर न जाएँ घर पर ही रहें।

वरिष्ठ नागरिक के लिए उपाय-जितना हो सके घर के अंदर रहें। पार्क, बाजारों और धार्मिक स्थानों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाएँ। अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे और पंखे या कूलर का उपयोग करें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं और निम्न में से किसी एक का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ उच्च शरीर का तापमान, शरीर में दर्द लगे, सिरदर्द, चक्कर आना, मतली या भटकाव लगना, सांस की तकलीफ होना, असामान्य रूप से भूख लगना। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक की देखरेख कर रहे हैं तो नियमित रूप से हाथ धोने में उनकी मदद करें। समय पर भोजन और पानी का सेवन सुनिश्चित करें। उनके पास जाते समय अपना नाक और मुंह ढकने के लिए फेस कवर का इस्तेमाल करे। यदि आप बुखार, खाँसी, साँस लेने जैसे चीजों से पीड़ित हैं, तो आपको वरिष्ठ नागरिक के पास नहीं जाना चाहिए। उस दौरान किसी और को उसके पास जाने के लिए कहे यो भी पूरी सावधानी के साथ।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480